काला भाव कर के 9 से 11 रुपये मे डाइना-माइट सेल किसानो को बेचा जाता है। इसलिए मेरी निम्न प्रकार की माग है --

(1) गुजरात से सौराष्ट्र प्रदेश के किसानो को सरलता से निश्चित किए हुए करीब 2 रुपये के भाव मे डाइनामाइट सेल (टोटा) मिले इस का प्रबन्ध किया जाये।

(2) डाइनामाइट सेल (टोटा) का 9 से 11 रुपये तक का भाव ले कर काला बाजार होता है इसे तुरन्त बन्द किया जाये।

(3) कृषि की पैदावार बढाने के लिए डाइनामाइट सेल (टोटा) मे सब्सिडी का प्रबन्ध कर के इसे सस्ता करें ऐसी मैं कृषि मत्री जी से प्रार्थना करता हूं।

(iii) REPORTED ISSUE OF LICENCES TO BIG BUSINESS HOUSES

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) अध्यक्ष महोदय मैं आप का धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे यह वक्तव्य देने का मौका दिया। इस सम्बन्ध मे हम लोगो ने, 51 संसद सदस्यो ने स्पेशल डिबेट के लिए माग भी की है।

MR SPEAKER That list should not be read out

श्री राम विलास पासवान एक तरफ जनता पार्टी की नीति बड़े घरानो के एकाधि-कार को खत्म कर देश मे समता की धारा एव बराबरी की धारा बहाना है लेकिन दूसरी ओर जनता सरकार द्वारा बड़े घरानो को सर्वाधिक पूजी दे कर असमानता की खाई को और बढ़ावा देना दुखद विषय है। इस का ज्वलन्त उदाहरण एकाधिकार आयोग की राय लिए बगैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को जुलाई, 77 से दिसम्बर, 77 की अवधि मे 170 46 करोड रुपये के लाइसेंस दिये गये जिस मे बिरला को सर्वाधिक लाइसेंस (72 08 करोड रुपये) दिये गये। कम्पनी कार्य विभाग के हाल मे हुए रिव्यू के अनुसार जुलाई से दिसम्बर 77 में बड़े घराना के 22 आवेदन पत्रो मे से केवल 5 रद्द किये गये। शेष 23 कम्पनियो के लिए अधिकाश राशि सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओ एव राष्ट्रीयकृत बैंक से दिये जायेंगे। जबकि कुछ कम्पनिया को अपनी ही आन्तरिक आमदनी से अपना शेयर बढाना है।

23 कम्पनियो मे से 3 बिडला की कम्पनी है जिसके लिए 72 08 करोड रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। 4 जे० के० सिघानिया की है जिसके लिए 27 70 करोड रुपये, दो थापर की कम्पनिया है जिसके लिए 18 45 करोड, 2 टाटा की कम्पनिया है जिसके लिए 9 03 करोड रुपये तथा 2 श्रीराम की हैं जिसके लिए 4 55 करोड रुपये की राशि दी गई है। दो उद्योगो मे ज्वाइंट सेक्टर कम्पनी है जिसका सुझाव थापर की ओर से आया था। नये उद्योग मेघालय और आंध्र प्रदेश मे लगाये जायेंगे। 23 कम्पनियो के नाम तथा कुल दी गई राशि निम्न प्रकार है

1 जे० के० सिथेटिक्स 250 लाख

2 इंडिया स्टीमशिप 597 3 लाख कम्पनी लि०

3 ब्रेक्स इंडिया लि० 165 60 लाख

4 दिल्ली क्लाथ मिल्स 5 50 लाख

MR SPEAKER Mr Paswan that portion has been deleted

श्री राम विलास पासवान रेव्यू के दौरान सरकार ने 6 प्रस्तावो, जिसकी

[श्री राम विलास पासवान]

कुल लागत 559.89 करोड रुपये की थी जो रद्द कर दिया । ज्ञातव्य है कि जिस विडला को कुल रुजो 1951 में 153 करोड रुपया तथा टाटा को 116 करोड रुपया थी वह 1975–76 में बढ़ कर 1075 एव 975 करोड़ क्रमश: हो गई ।

सरकार द्वारा उपरोक्त लाइसेंसज दिया जाना जनहित तथा सरकार की घोषित नीतियों के बिल्कुल विपरीत है । अत: सरकार इस सम्बन्ध मे अपनी स्थिति स्पष्ट करे ।

(iv) REPORTED CANCELLATION OF PASSENGER TRAINS ON MANMAD-PURNA AND ADILABAD-PURNA ROUTES.

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड़) : सदर साहब, मै आपकी अनुमति से नियम 377 के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर जनता के मसले को यहां पर पेश कर रहा हूं । महाराष्ट्र राज्य के अन्दर कोयले की कमी का एक कारण बता कर रेलवे विभाग ने मनमाड़-पूर्णा, आदिलाबाद-पूर्णा और पूर्णा-परली की पसेंजर रेल गाडियां अभी हाल ही में बन्द की हैं । यह गाडियां बन्द होने से महाराष्ट्र के खास तौर पर मराठवाड़ा प्रभाग की जनता पर इसका बहुत ही बुरा और गम्भीर असर पडा है । हजारों गरीब यात्रियों को इस प्रभाग में सफर करना भी मुश्किल हो गया है । महाराष्ट्र और आध्र के लोगो को भी इसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है । यह रेलगाड़ियां बन्द होने से लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं । यातायात का खर्चा भी बढ़ा है और लोग भी परेशान हैं । उनमें तीव्र असंतोष फैला हुआ है । यह गाड़ियां फौरन शुरू करना बहुत जरूरी है । इस सम्बन्ध में मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और इस बारे में वे स्टेटमेण्ट दें, इसके लिए मैं आपकी ओर से उनसे गुजारिश करता हूं ।

सदर साहब, मैंने कल ही मंत्री महोदय से मिल कर इस बारे में निवेदन किया है । आज वे यहा पर हाउस मे उपस्थित हैं, मैं आपके द्वारा विनती करूंगा कि मंत्री महोदय यहा पर स्टेटमेण्ट दें ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : वह गाड़ी शुरू करने के आदेश हमने दे दिए है ।

श्री केशव राव धोंडग : मै आपका आभारी हूं ।

(v) WORKERS' AGITATION IN HINDUSTAN AERONAUTICS, HYDERABAD

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): Mr. Speaker, Sir, with your permission, under rule 377, I would like to bring to the notice of the Minister of Defence the present state of affairs in Hindustan Aeronautics, Hyderabad. There is, in this enterprise, an Avionic Design Bureau Air Force personnel who are posted in this Division are on deputation and are, therefore, not under the discipline and control of the management. For example, the management cannot conduct any inquiry into any complaints of harassment by any of these officers.

The present Head of the Department is said to be very arrogant in his behaviour towards the workmen and harasses them. Some time ago the workers went on an agitation in protest. About 100 of them were immediately issued notices of warning. Later the management withdrew the letters and agreed to review the position after three months.

But, within a few days of this, one of the workers was suddenly suspended